सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 23, बुधवार शाके 1938–सितम्बर 14, 2016 *Bhadra 23, Wednesday, Saka 1938- September 14, 2016*	

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग

सकंल्प

जयपुर, अप्रेल 26, 2016

संख्या एफ.8(3)आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2013/4219 :–सुनियोजित प्रयासों के द्वारा आपदाओं के प्रभाव को कम करने की आवश्यकता को विश्व भर में सरकारों की मान्यता तथा प्रतिबद्धता प्राप्त हो रही हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण एक महत्वपूर्ण विकास मुद्दा है। इसके लिए राजनैतिक एवं विधिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक ज्ञान, विकास योजना को सावधानीपूर्वक तैयार किये जाने, प्रौद्योगिकी के प्रयोग, विधि प्रवर्तन, सामुदायिक भागीदारी, पूर्व चेतावनी प्रणालियों तथा प्रभावी आपदा तैयारी और कार्यवाही तंत्रों की आवश्यकता होती है। निवारण की संस्कृति विकसित करने लिए समर्थकारी वातावरण तैयार करने और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की योजना में आपदा प्रबंधन के समावेश को सुगम बनाने के ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में शामिल पणधारियों तथा इस क्षेत्र में विभिन्न हितों वाले लोगों को आपदा प्रबंधन में निर्णय लेने की एक भागीदारी प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए जिससे न केवल पूरे राज्य में आपदा प्रबंधन ढांचा और संस्थाएं सुदृढ़ होंगी बल्कि इससे लचीलेपन का स्तर भी बढ़ेगा।

2. तद्नुसार राजस्थान सरकार ने एक बहु–पणधारी राज्य जोखिम न्यूनीकरण मंच (एसपीडीआरआर) का गठन करने का निर्णय लिया है। इस राज्य मंच के सदस्यों की सूची उपाबंध–1 में दी गयी है।

3. राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एसपीडीआरआर) के कार्य निम्नलिखित होंगे–

(क) आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में की गयी प्रगति का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना।

(ख) यह मूल्यांकन करना कि राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन नीति को किस सीमा तक तथा किस रीति से कार्यान्वित किया गया है तथा इस मामले में उपयुक्त सलाह देना।

(ग) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के विकास के बारे में केन्द्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों, जिलों, स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाज के संगठनों के बीच समन्वय के संबंध में सलाह देना।

(घ) आपदा प्रबंधन से संबंधित किसी प्रश्न पर स्वतः अथवा राज्य सरकार या किसी जिले द्वारा निर्देश किये जाने पर सलाह देना।

(ड़) आपदा प्रबंधन नीति का पुनर्विलोकन करना।

4. इन कार्यो के निर्वहन के लिए यह मंच :–

(क) किसी सरकारी संस्था, किसी अन्य संगठन या किसी व्यक्ति से सूचना और टिप्पणियों की मांग कर सकता है।

(ख) इस मंच के सदस्यों और/या यथाआवश्यक अन्य लोगों को समाविष्ट करके समितियां अथवा समूहों का गठन करना।

(ग) किसी ऐसे विशिष्ट मुद्दे, जिस पर मंच (प्लेटफार्म) या इसकी समितियों या समूहों द्वारा ध्यान देना अपेक्षित हो, पर राज्य सरकार या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से अध्ययन, शोध करना अथवा रिपोर्ट तैयार करना।

5. (क) कार्यकाल :

इस मंच (प्लेटफार्म) का कार्यकाल इस संकल्प की अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष का होगा।

(ख) आकस्मिक रिक्तियां :

(i) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की सभी आकस्मिक रिक्तियां उस प्राधिकरण अथवा निकाय द्वारा भरी जायेंगी जिसने उन सदस्यों, जिनके स्थान रिक्त हैं, को नामनिर्दिष्ट किया था अथवा चुना था।

(ii) आकस्मिक रिक्ति पर नामनिर्दिष्ट अथवा चुना गया व्यक्ति उतने शेष कार्यकाल तक इस मंच (प्लेटफार्म) का सदस्य रहेगा जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त होता है, सदस्य रहा होता।

(ग) बैठक :

इस मंच की प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बैठक होगी और मंच की दो क्रमिक बैठकों के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तराल नहीं होगा।

(घ) कार्यसूची (एजेंडा) :

(i) बैठक की कार्यसूची (एजेंडा), व्याख्यात्मक ज्ञापन और कार्यवाहियों का अभिलेख/कार्यवृत्त आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा तैयार और परिचालित किया जायेगा।

(ii) सभी सदस्यों को कार्यसूची और व्याख्यात्मक ज्ञापन इस मंच की बैठक की तारीख से साधारणतः कम से कम 10 दिन पूर्व परिचालित किये जायेंगे।

(ड़) प्रक्रिया :

ऐसे मामलों, जिनके बारे में ऊपर उपबंध नहीं किया गया है, के संबंध में मंच अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं अंगीकृत करेगा।

(च) इस मंच की कोई भी कार्यवाही मात्र किसी प्रक्रिया संबंधी दोष अथवा सदस्यता के किसी प्रवर्ग के अधीन रिक्ति के आधार पर अवैद्य नहीं होगा।

उपाबंध– I

राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच (एसपीडीआरआर) की संरचना

1. अध्यक्ष
   मुख्यमंत्री
2. उपाध्यक्ष
   गृह मंत्री/आपदा प्रबंधन और राहत मंत्री
3. राज्य सरकार के प्रतिनिधि :
   (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
   (ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री
   (iii) कृषि एवं पशुपालन मंत्री
   (iv) उद्योग मंत्री
   (v) लोक निर्माण विभाग मंत्री
   (vi) जल संसाधन मंत्री
   (vii) नगरीय विकास मंत्री
   (viii) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री
   (ix) खान, वन एवं पर्यावरण मंत्री
   (x) राजस्व मंत्री
   (xi) पर्यटन मंत्री
   (xii) महिला एवं बाल विकास मंत्री
   (xiii) ऊर्जा मंत्री
   (xiv) योजना मंत्री
   (xv) परिवहन मंत्री
4. स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रतिनिधि :
   (i) जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर के महापौर।
   (ii) नगरीय स्थानीय निकाय के पांच अध्यक्ष (नगरीय विकास विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे)
   (iii) पंचायती राज संस्था के पांच प्रतिनिधि (पंचायती राज विभाग द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे)
5. राज्य विधानसभा से प्रतिनिधि :
   (i) विधान सभा के चार सदस्य (अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे)
6. पदेन सदस्य :
   (i) मुख्य सचिव
   (ii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा
   (iii) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, गृह
   (iv) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन
   (v) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वन
   (vi) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, लोक निर्माण विभाग
   (vii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम
   (viii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
   (ix) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
   (x) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, कृषि
   (xi) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, पर्यटन
   (xii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, परिवहन
   (xiii) प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, ऊर्जा
   (xiv) शासन सचिव, राजस्व
   (xv) शासन सचिव, पशुपालन
   (xvi) शासन सचिव, जल संसाधन
   (xvii)शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन और सहायता/सदस्य–सचिव, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
   (xviii) अध्यक्ष, पथ परिवहन

(xix) अध्यक्ष, राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
(xx) निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग
(xxi) अध्यक्ष, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
(xxii) अतिरिक्त महा निदेशक, राज्य आपदा प्रतिसाद बल (एस डी आर एफ)
(xviii) निदेशक, विमान पत्तन एवं नागरिक उड्डयन
(xxvv) महानिदेशक, सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जोधपुर
(xxv) निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग
(xxvi) निदेशक, भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण
(xxvii) महानिदेशक, पुलिस
(xxviii) महानिदेशक, होम गार्ड

7. राज्य महत्व की संस्थाओं के प्रधान :
(i) हरिश चन्द्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
(ii) मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान
(iii) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (जोधपुर ऐम्स)
(iv) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (आरयूएचएस, जयपुर)
(v) पशु–चिकित्सा विश्वविद्यालय, बिकानेर
(vi) राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर
(vii) चिकित्सा परिषद्
(viii) नर्सिंग परिषद्
(ix) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
(x) सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय
(xi) राजस्थान पुलिस अकादमी
(xii) महानिदेशक, इन्द्रा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान
(xiii) पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, किशनगढ़

8. उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति :
(i) हिन्दुस्तान जिंक
(ii) कैयर्न ऐनर्जी
(iii)भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड
(iv) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
(v) इण्डियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
(vi)भारतीय पेट्रोलियम निगम लिमिटेड
(vii) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का राजस्थान अध्याय
(viii) भारतीय उद्योग परिसंघ का राजस्थान अध्याय

9. मीडिया प्रतिनिधि :
(i) जयपुर दूरदर्शन
(ii) ई–टीवी, राजस्थान
(iii) जी–टीवी, राजस्थान
(iv) राजस्थान पत्रिका का प्रतिनिधि
(v) दैनिक भास्कर का प्रतिनिधि
(vi) टाइम्स ऑफ इण्डिया का प्रतिनिधि
(vii) हिन्दुस्तान टाइम्स का प्रतिनिधि
(viii) राष्ट्रदूत का प्रतिनिधि
(ix) पंजाब केसरी का प्रतिनिधि
(x) इक्नोमिक टाइम्स का प्रतिनिधि

10. सिविल समाज संगठनों के प्रतिनिधि :
(i) रामा कृष्णा मिशन, जयपुर
(ii) रेड क्रॉस सोसायटी, जयपुर
(iii) आईएजी/स्फीयर इण्डिया, राजस्थान
(iv) अरावली राजस्थान

11. अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि :
(i) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)
(ii) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष (यूनिसेफ)

12. अध्यक्ष की अनुज्ञा से कोई अन्य विशेष आंमत्रित :

13. संयोजक–
सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता

रोहित कुमार,
सचिव।

DISASTER MANAGEMENT & RELIEF DEPARTMENT

RESOLUTION

Jaipur, April 26, 2016

No.8(3)DM&RD/DM/2013/4219 .-The need to reduce the impact of disasters by means by systemic efforts has been gaining recognition and commitment among Governments worldwide. Disaster Risk Reduction is a cross cutting development issue. It requires political and legal commitment, scientific knowledge, careful development planning, application of Technology, law enforcement', community participation, early warning systems and effective disaster preparedness and response mechanisms. There is a need to foster an enabling environment for developing a culture of prevention and to enable concerted measures to facilitate the integration of disaster management into developmental planning in various sectors. It is therefore important that the State Government, stakeholders in the field of disaster management and people representing different interests in the area should evolve a participatory process of decision making in disaster management, which will not only strengthen the disaster management structure and institutions all over the State but will also enhance the levels of resilience.

2. The Government of Rajasthan has accordingly decided to constitute a multi-stakeholder State Platform for Disaster Risk Reduction (SPDRR). A list of members of the State Platform is placed at Annexure-I.

3. The functions of the SPDRR shall be –

a) To review the progress made in the field of disaster management from time to time.

b) To appraise the extent and manner in which the Disaster Management Policy has been implemented by the State Government and other concerned agencies, and to give appropriate advice in the matter.

c) To advise regarding coordination between the Centre and other State Governments, Districts, Local Governments and civil society organisations for development of Disaster Risk Reduction.

d) To advise suo-moto or on a reference made by the State Government or any district on any question pertaining to the disaster management.

e) To review the Disaster Management Policy.

4. For the discharge of these functions, the Platform may :-

a) Call for information and comments from any government institution, any other organization or an individual.

b) Appoint committees or groups comprising members of the Platform and/or other as may be necessary, and

c) Commission through the State Government or any other agency, studies, research or reports on any specific issue requiring the attention of the Platform or its Committees or Groups.

5. a) TENURE :-

The tenure of Platform shall be 5 years with effect from the date of Notification of this Resolution.

b) Casual Vacancies :-

(i) All casual vacancies among the members, other than the ex-officio members shall filled by the Authority or body which nominated or elected the members whose place falls vacant.

(ii) The person nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of the Platform for the residue of the term for which the member whose Place he fills would have been a member.

c) MEETING:-

The Platform shall meet at least once every year and there shall not be a gap of more than two years between two consecutive meetings of the Platform.

d) AGENDA:-

(i) The Agenda, the explanatory Memorandum and the Record of Proceedings/minutes of the meeting shall be prepared and circulated by the Disaster Management and Relief Department.

(ii) The Agenda and explanatory Memorandum will ordinarily be circulated to all the members at least 10 days before the date of the Meeting of the Platform.

e) PROCEDURE:-
The Platform will adopt its own procedures in respect of the matters not provided by above.

f) No proceedings of the Platform shall be invalid merely on the ground of any procedural defect or vacancy under any category of membership.

ANNEXURE-I

Composition of the State Platform for Disaster Risk Reduction (SPDRR)

1. Chairperson
   The Chief Minister
2. Vice Chairperson
   Home Minister/Disaster Management & Relief Minister
3. Representatives of the State Government
   i. Minister of Health & Family Welfare
   ii. Minister of Science & Technology
   iii. Minister of Agriculture and Animal Husbandry
   iv. Minister of Industries
   v. Minister of PWD
   vi. Minister of Water Resources
   vii. Minister of Urban Development
   viii. Minister of Rural Development and Panchayati Raj
   ix. Minister of Mines, Forest and Environment
   x. Minister of Revenue
   xi. Minister of Tourism
   xii. Minister of Women & Child Development
   xiii. Minister of Energy
   xiv. Minister of Planning
   xv. Minister of Transport
4. Representatives of Local Self Government
   i. Mayors of Jaipur, Kota, Ajmer, Jodhpur, Udaipur
   ii. Five Chairpersons of Urban Local Bodies (to be Nominated by Ministry of Urban Development)
   iii. Five representatives of Panchayat Raj Institutions (To be nominated by Ministry of Panchayat Raj)
5. Representatives from the State Legislative Assembly
   i. Four members of Legislative Assembly (To be nominated by the Chairperson)
6. Ex-Officio Members
   i. Chief Secretary
   ii. ACS/Principal Secretary, Higher Education
   iii. ACS/Principal Secretary, Home
   iv. ACS/Principal Secretary, UDH
   v. ACS/Principal Secretary, Forest
   vi. ACS/Principal Secretary, PWD
   vii. Principal Secretary/Secretary, Mines & Petroleum
   viii. Principal Secretary/Secretary, Medical & Health
   ix. Principal Secretary/Secretary, Rural Development & Panchayati Raj
   x. Principal Secretary/Secretary, Agriculture
   xi. Principal Secretary/Secretary, Tourism
   xii. Principal Secretary/Secretary, Transport
   xiii. Principal Secretary/Secretary, Energy
   xiv. Secretary, Revenue
   xv. Secretary, Animal Husbandry
   xvi. Secretary, Water Resources
   xvii. Secretary, Disaster Management & Relief/Member Secretary, Disaster Management Authority
   xviii. Chairman Roadways
   xix. Chairman, State Highways Authority
   xx. Director, Central Water Commission
   xxi. Chairman, Insurance Regulatory & Development Authority
   xxii. Addl. Director General, SDRF
   xxiii. Director, Airport & Civil Aviation
   xxiv. Director General, Defence Research & Development

Organization Jodhpur
xxv. Director, Indian Meteorological Department
xxvi. Director, Geological Survey of India
xxvii. Director General Police
xxviii. Director General Home Guards

7. Heads of Institutions of State Importance
   i. HCM RIPA
   ii. MNIT
   iii. Jodhpur AIIMS
   iv. RUHS Jaipur
   v. Veterinary University Bikaner
   vi. Rajasthan Agriculture Research Institute, Durgapura, Jaipur
   vii. Medical Council
   viii. Nursing Council
   ix. RTU Kota
   x. Sardar Patel Police University
   xi. Rajasthan Police Academy
   xii. DG, IGPRS
   xiii. Police Training Centre Kishangarh
8. Persons Representing Industry
   i. Hindustan Zink
   ii. Cairn Energy
   iii. GAIL
   iv. HPCL
   v. IOCL
   vi. BPCL
   vii. Rajasthan Chapter of FICCI
   viii. Rajasthan Chapter of CII
9. Media representatives
   i. Jaipur Doordarshan
   ii. E-TV Rajasthan
   iii. Zee TV Rajasthan
   iv. Representative of Rajasthan Patrika
   v. Representative of Dainik Bhaskar
   vi. Representative of Times of India
   vii. Representative of Hindustan Times
   viii. Representative of Rashtradoot
   ix. Representative of Punjab Kesri
   x. Representative of Economic Times
10. Representatives of Civil Society Organizations
   i. Rama Krishna Mission, Jaipur
   ii. Indian Red Cross Society, Jaipur
   iii. IAG/Sphere India, Rajasthan
   iv. Aravali Rajasthan
11. International Representatives
   i. UNDP
   ii. UNICEF
12. Any other special invitee with the permission of the Chair
13. Convenor
   Secretary, Disaster Management & Relief, Govt. of Rajasthan.

रोहित कुमार,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.